राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(44) ग्राविवि–5/पीएमएवाई–जी./आ. चु./आ. आ. स./ 2018–19 जयपुर, दिनांक १२ अक्टूबर, 2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषय :– विधानसभा चुनाव, 2018– आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की पालना बाबत्।

संदर्भ :– निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक प. 3(1)(9)।/निर्वा/2018/6940 जयपुर दि. 07.10.2018

प्रसंग :– संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.) की अ.शा.टीप कमांक 09(02)ग्रावि/ग्रुप–1/विविध/2017, दि. 12.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अ.शा.टीप के साथ संलग्न निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 07.10.2018 संलग्न कर लेख है कि राज्य में विधानसभा आम चुनाव, 2018 के कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है तथा निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के संलग्न प्रासंगिक पत्र दिनांक 06.10.2018 के द्वारा दिये गये निर्देश भी संलग्न है, की पालना सुनिश्चित की जावे। राजस्थान चुनाव आयोग के द्वारा दिये गये निर्देश बिन्दु संख्या 1 से 5 की पालना सुनिश्चित करावे।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के दौरान नवीन स्वीकृतियां एवं अप्रारम्भ कार्य अर्थात् ऐसे आवास जिन्हें स्वीकृति उपरान्त प्रथम किश्त जारी नहीं की गई है, को भी प्रथम किश्त जारी नहीं की जा सकेंगी। सुलभ संदर्भ हेतु जिलेवार 14189 अप्रारम्भ आवास (कार्यों) एवं 684194 स्वीकृत आवासों की संख्या संलग्न है। राजस्थान चुनाव आयोग की निर्देशों की पालना में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को सूचना उपलब्ध करावे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रावि राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।

स्टेट नोडल अधिकारी (PMAY-G)

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः प.3(1)(9) I/निर्वा/2018/6940 जयपुर, दिनांकः 07-10-2018

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति : मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार
जयपुर।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव
राजस्थान सरकार

: अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0
जयपुर।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण नि0 लि0,
राजस्थान, जयपुर।

: राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
सचिवालय, जयपुर।

विषय : विधानसभा आम चुनाव, 2018 – आर्दश आचार संहिता के प्रावधानों की पालना बाबत।

प्रसंग : भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2018 दिनांक 6 अक्टूबर, 2018, 437/6/INST/2015-CCS दिनांक 29 दिसम्बर, 2015, 437/6/INST/2012-CC&BE दिनांक 18 जनवरी, 2012, 3/7/2018 JS-II दिनांक 7 अक्टूबर, 2008, 437/6/1/2014-CC&BE दिनांक 5 मार्च, 2014, 437/6/INST/2014-CC&BE दिनांक 20 मार्च, 2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव, 2018 के कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 6 अक्टूबर, 2018 को की जा चुकी है। कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ चुकी है तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक प्रभावी रहेगी। आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 06.10.2018 के द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं:--

1. <u>सम्पत्ति का विरूपणः</u> आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.10.2008, 03.07.2008, 18.01.2012 एवं 29.12.2015 (प्रतियाँ संलग्न) में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार सम्पत्ति के विरूपण की रोकथाम की जावे एवं उनके उल्लंघन में किये गये विरूपण/पोस्टर्स/बैनर्स/होर्डिंग्स को हटाये जाने की कार्यवाही की जानी हैं। आयोग के पत्र दिनांक 06.10.2018 में दिये गये निर्देशों के क्रम में सरकारी सम्पत्ति का विरूपण 24 घंटे में, सार्वजनिक सम्पत्ति और सार्वजनिक स्थल का विरूपण 48 घंटे में तथा निजी सम्पत्ति का विरूपण 72 घण्टे में हटाने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट विभागों से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही विभागों को यह भी निर्देशित करायें कि वे स्थानीय स्तर पर पालना की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को भी प्रेषित करावें।

E:\Joint CEO Computer R.No. 7101 E-Drive\VS-2018\Letter - 2018.docx

2. <u>राजकीय वाहनों का दुरूपयोग:</u> आयोग के पत्र 464/INST/2014/EPS दिनांक 10 अप्रेल, 2014 (प्रति संलग्न) के द्वारा राजकीय वाहनों के दुरूपयोग के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिये गये हैं। दिशा–निर्देशों की पालना रिपोर्ट 24 घण्टे में इस विभाग को प्रेषित करावें।

3. <u>राजकोष से विज्ञापन:</u> भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 5 मार्च, 2014 (प्रति संलग्न) द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान राजकोष से सरकार की उपलब्धियों बाबत प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किये जावें। यदि कोई विज्ञापन जारी कर दिया है तो उसे प्रकाशित होने से रोका जावे।

4. <u>विभिन्न विभागों की वेबसाइट्स पर फोटोग्राफ:</u> विभिन्न विभागों की वेबसाईट्स से मंत्री/राजनैतिक व्यक्तियों के सदर्भ/फोटो आयोग के निर्देश क्रमांक 437/6/INST/2014-CC&BE दिनांक 20 मार्च, 2014 (प्रति संलग्न) की पालना में तुरन्त हटाये/छिपाये जायें। इसकी पालना रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करावें।

5. <u>विकास एवं निर्माण कार्यों से संबंधित गतिविधियाँ:</u> आदर्श आचार संहिता प्रभाव आ जाने के कारण कोई भी नवीन कार्य प्रारम्भ नहीं हो सकता है। आपके विभाग द्वारा पूर्व से चल रहे कार्यों एवं नवीन स्वीकृत कार्य जो अभी प्रारम्भ नहीं हुए हैं, की सूची निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के 72 घण्टे की अवधि में इस विभाग को प्रेषित करावें तथा स्थानीय स्तर पर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को उपलब्ध करावें।

आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 06.10.2018 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट इस विभाग को तथा जिला स्तर पर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) को उपलब्ध करावें। आयोग के उक्त निर्देशों से आप अपने विभाग के माननीय मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव को पालना हेतु अवगत करावें, साथ ही अपने अधीनस्थ विभागों/स्थानीय निकायों/सार्वजनिक उपक्रमों से भी आयोग के निर्देशों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.3(1)(9)।/निर्वा/2018/6940   जयपुर, दिनांक: 07-10-2018

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स), राजस्थान को दी जाकर लेख है कि आयोग के निर्देशों की पालना कराते हुए आयोग द्वारा दी गई निर्धारित अवधि में पालना रिपोर्ट प्राप्त रखें और इस विभाग को भी प्रेषित करें।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

E:\Joint CEO Computer R.No. 7101 E-Drive\VS-2018\Letter - 2018.docx

Cumulative PMAY-G

#SNo	District Name	Target fixed by States	Registered	GEO Tagged Out Of Registered	Sanctions Out of GEO Tagged	Sanctions with verified Accounts	Installment 1st	Installment 2nd	Installment 3rd	Completed	Not started Works
	Total	**687091**	**811211**	**726658**	**684194**	**679092**	**670005**	**573289**	**439678**	**418080**	**14189**
1	AJMER	10703	11623	11031	10675	10635	10583	9548	7313	6731	**92**
2	ALWAR	5828	6484	6054	5797	5774	5708	4811	3380	2989	**89**
3	BANSWARA	82152	97432	89072	82149	81948	81316	74332	68147	68382	**833**
4	BARAN	17697	20099	18839	17677	17612	17550	15196	11476	11204	**127**
5	BARMER	58680	72337	62466	58531	57937	57226	47418	24298	24423	**1305**
6	BHARATPUR	6844	8836	8024	6843	6829	6797	5902	4472	3748	**46**
7	BHILWARA	21071	22307	21444	21056	20982	20892	18271	14700	13484	**164**
8	BIKANER	21896	25990	23704	21898	21715	21233	17551	13992	13782	**665**
9	BUNDI	18518	27447	20029	18519	18449	18303	15757	10951	9881	**216**
10	CHITTORGARH	14425	16976	15028	14343	14257	14302	12960	10621	10114	**41**
11	CHURU	14724	14514	13647	13405	13253	11938	9262	7155	6952	**1467**
12	DAUSA	8622	9753	8698	8532	8507	8484	7967	6432	6292	**48**
13	DHOLPUR	5058	6705	5944	5046	5041	5012	4636	3931	3854	**34**
14	DUNGARPUR	57134	64748	59873	56473	55944	55107	43282	32315	29418	**1366**
15	HANUMANGARH	13007	14386	13354	13001	12902	12902	12410	11360	10412	**99**
16	JAIPUR	8617	10141	9166	8614	8574	8445	7086	4968	4919	**169**
17	JAISALMER	12044	13440	12358	12043	11862	11174	9230	6301	5515	**869**
18	JALORE	27057	31730	27692	27055	26841	26765	22830	16524	15159	**290**
19	JHALAWAR	21582	30528	24705	21582	21424	20949	18092	13671	13055	**633**
20	JHUNJHUNU	1046	1313	1182	1043	1042	1034	949	866	849	**9**
21	JODHPUR	27516	35093	30157	27516	27338	27268	23889	19015	18452	**248**
22	KARAULI	12591	13458	13120	12510	12404	11520	8503	3646	2703	**990**
23	KOTA	10547	11827	11078	10541	10517	10495	9190	6793	6490	**46**
24	NAGAUR	15913	17756	16397	15912	15825	15733	14633	12607	12030	**179**
25	PALI	16155	23114	18290	16140	16061	16039	14192	12305	12169	**101**
26	PRATAPGARH	29043	33096	31006	28942	28683	28580	23750	16854	14974	**362**
27	RAJSAMAND	10289	11085	10573	10182	10057	10007	8288	6206	5785	**175**
28	SAWAI MADHOPUR	11465	13939	12447	11464	11374	11076	9029	6287	6034	**388**
29	SIKAR	2439	2923	2579	2425	2391	2312	1932	1612	1445	**113**
30	SIROHI	16804	20613	17470	16804	16686	16651	15176	12015	11232	**153**
31	SRI GANGANAGAR	21244	23320	22009	21244	21090	20811	19549	17045	15493	**433**
32	TONK	17922	21429	18814	17828	17697	17316	12273	7413	6198	**512**
33	UDAIPUR	68458	76769	70408	68404	67441	66477	55395	45007	43912	**1927**
	Total	**687091**	**811211**	**726658**	**684194**	**679092**	**670005**	**573289**	**439678**	**418080**	14189